न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 182 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. जैरूपाराम पुत्र सवाराम 2. पुर्णेश पुत्र अचलाराम 3. भादाराम पुत्र जैरूपाराम 4. दाईदेवी पत्नी दुर्गाराम 5. होथीराम पुत्र दुर्गाराम जाति कलबी निवासी हेमागुड़ा तहसील चितलवाड़ा जिला सांचौर	1. कृष्णकुमार उर्फ करसनराम पुत्र हुकमाराम जाति कलबी निवासी हेमागुड़ा तहसील चितलवाड़ा जिला सांचौर 2. शाखा प्रबंधक एस बी आई शाखा कृषि विकास बैंक गुड़ामालानी 3. त्हसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 18 / 2024 बअनवान कृष्णकुमार बनाम जेरूपाराम में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री 06.06.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भीखाराम विश्नोई ब्रीफ हॉल्डर अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रोशनलाल रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—22.01.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 03 (वादी) द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील गुड़ामालानी पटवार मण्डल बांटा सरहद मौजा बांटा के खेत खसरा संख्या 249 / 1 रकबा 12. 3672 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम का संयुक्त खातेदारी का खेत वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का आया हुआ है। उक्त खसरा में चल रही नर्मदा नहर की अवाप्ति भूमि को छोड़कर वादी के 1 / 5 हिस्से की भूमि गुणवता,

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आवास व्यवस्था एवं आवागमन की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए पूर्व में किये गये बाहमी बंटवाड़े के अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजित कर पृथक–पृथक खाता कायम किया जावे। प्रतिवादीगण एवं वादीगण के मध्य उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने से प्रतिवादीगण हमेशा वादीगण के कब्जे में दखल हस्तक्षेप करते रहते है। इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटगण को प्राकृतिक न्याय एवं साम्या के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई का प्र्याप्त अवसर दिया जाना अतिआवश्यक था किन्तु नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। जबाबदावा मय प्रतिदावा पर तनकी कायम नहीं की गई तथा न ही प्रतिवादीगण/अपीलांटगण को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन आराजी में कुछ हिस्सा नहर हेतु अवाप्त हो चुकी है मौका पर नहर का निर्माण भी हो चुका है। नहर विभाग को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया। आवश्यक पक्षकारान के अभाव में वाद पोषणीय नहीं था। उतरदाता संख्या 01 के द्वारा अपीलांट के हक अधिकार की जमीन हड़पने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही एकपक्षीय रूप निर्णय करवा दिया। ताकि अपीलाधीन आराजी का विभाजन राजस्व मण्डल राजस्थान के विभाजन नियम 18 से 21 विपरीत किया जावे। अपीलाधीन आराजी का विभाजन नहर की सिंचाई की सुविधा को ध्यान में रख कर किया जाना आवश्यक है। है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना अधिवक्ता नियुक्त कर अपनी तरफ से जबाव दावा मय प्रतिदावा पेश किया गया। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात ही पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांटस द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से यह अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन निर्णय उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात गुणावगुण पर पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय से अपीलांटस को विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मौका दिया गया है जो विधि सम्मत है। हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 18/2024 बअनवान कृष्णकुमार बनाम जेरूपाराम में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री 06.06.2024 को यथावत रखा जाता है। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में विधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नये सिरे से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाकर हस्तगत वाद का गुणावगुण पर निस्तारण करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.02.2025 को उपस्थित रहे। उक्त दिनांक से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर